उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-25 /2021/2136/92-2-21-34जांच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 31 मार्च, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-बुलंदशहर के विकास खण्ड-डिबाई में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत नगरपालिका एवं विकास खण्ड स्तर पर कराये गये इण्टरलांकिग कार्य के प्राक्कलन गलत ढंग से गठित करने, डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं, जिला महिला चिकित्सालय, बुलंदशहर में ओ0पी0डी0 निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 20.11.2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री हरीओम गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-46/ 2019/502/92-2-2019-34जांच/2017 दिनांक 27.02.2019 द्वारा सी0एस0 आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 16.01.2020 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री हरीओम गुप्ता के विरूद्व अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से जांच अधिकारी की विवेचना में आरोप सं0-1 को पूर्णरूप से तथा आरोप सं0-2 **(ii) (a), 2(v) (a), 2(vii)(a), 2(viii)(a), 2(ix)(a), 2(ix)(b),** को आंशिक रूप से प्रमाणित एवं शेष **2(i), 2(ii) (b), 2(iii), 2(iv), 2(v) (b), 2(vi), 2(vii)(b), 2(x)** प्रमाणित नही पाया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दि0 26.06.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 09.09.2020 एवं पुनराक्षित अभ्यावेदन निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 28.09.2020 के द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

जब श्री हरीओम गुप्ता, सहायक अभियंता, प्रखण्ड-बुलंदशहर के पद पर कार्यरत थे तो श्री गुप्ता द्वारा विकास खण्ड-डिबाई के प्राक्कलन ग्राम-बुढानपुर, गालिबपुर, इछावरी रोड पर ईदगाह के सामने इण्टरलांकिग कार्यो की गलत दर स्वीकृत कराने के कारण शासन को क्रमश: अंकन रू0 5858, 3146, 10468 कुल रू0 19,472.00 की क्षति पहुंचाने के लिये उत्तरदायी पाते हुये श्री हरी ओम गुप्ता को आरोपित किया गया।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी, श्री हरीओम गुप्ता द्वारा उक्त अधिरोपित आरोप के संबंध में अपने बचाव उत्तर दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त कार्यो का प्राक्कलन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पत्र दि0 14.06.2016 के परिपालन में विकास खण्ड के अवर अभियंता, श्री आर0 के0 उपाध्याय द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, डिबाई के हस्ताक्षर करवाकर प्रखण्ड कार्यालय में प्रेषित किया गया था। अधिशासी अभियंता के निर्देशानुसार उक्त प्राक्कलन पर बजट के आवंटन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हेतु श्री गुप्ता के हस्ताक्षर हेतु उनके सम्मुख 03 प्रतियॉ 24.06.2016 में प्रस्तुत किये गये थे, जिनको उनके द्वारा उसी दिन हस्ताक्षर कर प्रखण्डीय कार्यालय में प्रेषित कर दिये गये थे।प्रखण्डीय कार्यालय द्वारा दिनांक 27.06.2016 को उक्त प्राक्कलन की एक-एक प्रति बजट आवंटन हेतु चेक कर एवं स्वीकृत कर परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय को प्रेषित कर दिये गये थे, परन्तु उन पर स्वीकृति का दिनांक व नम्बर नही डाला था क्योंकि तकनीकी स्वीकृति हेतु बजट स्वीकृत नही था। विकास खण्ड के लिये बजट आवंटन के पश्चात अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बुलंदशहर द्वारा विकास खण्ड के कार्यो के प्राक्कलन बिना सहायक अभियंता के हस्ताक्षर कराये तकनीकी स्वीकृति दी जाती थी। अत: पूर्व में प्रेषित उपरोक्त प्राक्कलन के अंतर्गत दि0 13.07.2006 को बजट आवंटन के पश्चात प्रखण्ड कार्यालय में अवशेष प्रतियों पर दि0 26.07.2016 एवं नम्बर डालकर तकनीकी स्वीकृति प्रेषित कर दी गयी है। बजट आवंटन के पश्चात श्री गुप्ता के हस्ताक्षर प्राक्कलनों पर कही भी नही कराये गये। श्री गुप्ता द्वारा माह जून,2016 में केवल बजट आवंटन हेतु हस्ताक्षर किये गये थे। बजट आवंटन के पश्चात अधिशासी अभियंता द्वारा बिना उनके हस्ताक्षर कराये तकनीकी स्वीकृति दिनांक 26.07.2016 में दी गयी। तत्समय लोक निर्माण विभाग, वृत्त, बुलंदशहर के प्रचलित शिडयूल आफ रेट पत्रांक-6356/38एम/बु0शहर वृत्त/ 2015 दि0 03.11.2015 के अनुसार हस्ताक्षर किये थे। अत: टीएसी की जॉच आख्या में पृष्ठ-12 पर यह अंकित करना कि दि0 01.07.2016 को प्रभावी लोक निर्माण विभाग के **SOR** के अनुसार दरें लगानी चाहिए थी जो गलत है, जबकि श्री गुप्ता द्वारा जून,2016 में हस्ताक्षर कर प्रेषित किये गये थे। जबकि उक्त नया **SOR** जून,2016 में प्रभावी नही था। श्री गुप्ता द्वारा उक्त प्राक्कलन केवल बजट आवंटन हेतु जून माह में हस्ताक्षर कर प्रेषित किये गये थे। बजट स्वीकृति होने के पश्चात उनके द्वारा उक्त कार्यो के किसी भी प्राक्कलन की प्रतियों पर हस्ताक्षर नही किये गये। अधिशासी अभियंता द्वारा किये गये तकनीकी स्वीकृति (श्री गुप्ता द्वारा बजट आवंटन हेतु पूर्व में दिये गये प्राक्कलनों में जिस पर) कही पर भी डिटेल आफ मेजरमेंट, एबस्ट्रेक्ट आफॅ कॉसट में कही पर भी उनके हस्ताक्षर नही थे। उन्हीं प्राक्कलनों पर अधिशासी अभियंता द्वारा माह जुलाई में तकनीकी स्वीकृति दे दी गयी।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना</u>

प्रकोष्ठ द्वारा उक्त कार्यो की तकनीकी जॉच में पाया गया कि प्राक्कलन में लगायी गयी दरें लोक निर्माण विभाग के शिडयूल ऑफ रेट से अधिक है। इस संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह आरोप से भिन्न है। अपचारी अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक प्राक्कलन प्रस्तुत करते समय उक्त कार्य मद की स्वीकृत दरें लोक निर्माण विभाग के एस0ओ0आर0 में अनुपलब्ध होने का न कहीं कोई उल्लेख नही किया और न ही कोई प्रमाण दिया गया है। प्रारम्भिक प्राक्कलन के दर विश्लेषण करते हुये दर आंकलित करने का औचित्य स्पष्ट नही है। उक्त कार्य हेतु प्राक्कलन में जो दरें लगायी गयी है वह सक्षम अधिकारी/अधीक्षण अभियंता से भी स्वीकृत नही है। प्रकोष्ठ द्वारा अपनी आख्या में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत प्राक्कलन में विभिन्न मदों की ली गयी दरों में भिन्नता पाई गयी है। इस संबंध में प्रकोष्ठ की जॉच आख्या में प्राक्कलन गठित करने वाले अवर अभियंता/संगणक/सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता सहित चारों को बराबर-बराबर उत्तरदायी मानते हुये प्रत्येक को शासकीय क्षति हेतु उत्तरदायी माना गया है, जिस हेतु अपचारी अधिकारी रू0 5,858.00, 3,146.00, 10,468.00 कुल रू0 19,472.00 की शासकीय क्षति हेतु उत्तरदायी ठहराया गया है, जो औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निष्कर्ष -

अतः अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोप स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी ने अपने अभ्यावेदन में अभिकथित किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में लिखा गया है कि प्रकोष्ट द्वारा उक्त कार्यो की तकनीकी जांच की गई तथा पाया कि प्रांकलन में लगाई दरें लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल ऑफ रेट से अधिक है पूर्णतः गलत एवं निराधार है जबकि उनके द्वारा जून माह 16 में उपरोक्त कार्य के प्रांकलनों की तीन प्रतियों पर जून माह में लोक निर्माण विभाग, वृत्त बुलन्दशहर की उस समय प्रचलित शेड्यूल के अनुसार चेक कर हस्ताक्षर कर प्रखण्ड कार्यालय में प्रेषित किये गये थे। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड-बुलन्दशहर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 740 दिनांक 27.06.2016 के द्वारा परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, बुलन्दशहर को "टी0एस0 स्वीकृत कर प्रेषित किये थे जिससे प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा जून माह 2016 में हस्ताक्षर किये गये थे वो सही थे। इसके पश्चात कभी उनके द्वारा उक्त कार्य के किसी प्रांकलन पर हस्ताक्षर नहीं किये गये तथा न ही उनके सम्मुख कभी हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किये गये। पी0ए0सी0 द्वारा जुलाई माह, 2016 के सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त बुलन्दशहर के शिड्यूल ऑफ रेट से दरों की तुलना की गयी जिसके लिये श्री गुप्ता दोषी नहीं है जबकि उनके द्वारा उक्त प्रांकलन तीन प्रतियों में जून माह 2016 में हस्ताक्षर कर प्रखण्ड कार्यालय में प्रेषित कर दिये गये थे। इसके पश्चात उनके द्वारा उक्त प्रतियों की उक्त कार्य की किसी भी प्रांकलन पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

इसके अतिरिक्त ब्रिक वैलास्ट की कुटाई हेतु मद संख्या-6 एवं 7 की दर विश्लेषण की स्वीकृति एवं प्राविधान के लिये स्वीकृत करने वाले अधिशासी अभियन्ता, श्री हसनैन अहमद पूर्णतयः जिम्मेदार हैं। जो इस प्रमाण से प्रमाणित हो जाता है जैसा कि टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच आख्या के पृष्ठ 2, 3, 4 के द्वारा इस मद के लिये अधिशासी अभियन्ता, श्री हसनैन अहमद को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया है। टी0ए0सी0 का पृष्ठ 2, 3, 4 संलग्न है एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश का पत्र 243/सरकूलर दिनांक 21.10.2014 जिसमें क्रम सं0-4 पर अंकित है।

इसके अतिरिक्त विवेचना अधिकारी द्वारा लिखा गया है कि जिन मदों का दर विश्लेषण किया गया है उसमें सक्षम अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति नहीं ली गई। सक्षम अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति लेने की पूर्वतयः जिम्मेदारी प्रखण्ड के अधिशासी अभियन्ता की होती है।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-बुलन्दशहर को प्रांकलन स्वीकृत करने से पहले सक्षम अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति लेनी चाहिए थी जिसके लिए वह पूर्णतः जिम्मेदार है ऐसा टी0ए0सी0 ने भी अपनी जांच आख्या के पृष्ठ 2, 3, 4 पर अंकित किया है। प्रांकलन गठन में किसी भी मद का प्राविधान करने के लिए अधिशासी अभियन्ता पूर्णतया जिम्मेदार है ।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा विकास खण्ड द्वारा कराये गये उक्त कार्य की कभी भी न तो देखरेख की गई तथा न ही किसी प्रकार के भुगतान की संस्तुति कभी की गई। उपरोक्त सभी प्रभावित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनके ऊपर लगाया गया आरोप निराधार एवं अन्याय पूर्ण है।

आरोप संख्या-2

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सहायक अभियंता, प्रखण्ड-बुलंदशहर के पद पर कार्यरत थे तो उनके द्वारा ग्राम-किशनपुर, जिरौली, ततारपुर, ऊँचागांव, लोहिया ग्राम- बच्चेखेडा, गेसुपूर, शाहनगर, उमरारी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हसनगढ़, जिला महिला चिकित्सालय, बुलंदशहर में ओ0पी0डी0 में गलत दर स्वीकृत कराने एवं अधोमानक कार्य कराये जाने के कारण शासन को क्रमशः अंकन रू0 732, 24080, 3929, 2220, 2241, 29149, 3685, 23483, 15066, 38567, 1014 कुल रू0 1,44,166.00 की क्षति पहुंचाने के लिये उत्तरदायी पाये जाने पर श्री हरीओम गुप्ता को आरोपित किया गया।

(I) ग्राम-किशनपुर में प्रा0वि0 से रंजीत सिंह के मकान तक इण्टरलांकिग कार्य में टी0ए0सी0 की जॉच आख्या में उन्हें रू0 732/- की शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

अपचारी अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा ग्राम किशनपुर में परिलक्षित शासकीय क्षति में अवगत कराया है कि टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति रू0 732/- 2 प्रतिशत सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत है जिसे शासनादेश दि0 14.07.2009 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना(ग्राम-किशनपुर)</u>

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत ग्राम किशनपुर में अधोमानक कार्य कराये जाने के कारण कुल शासकीय क्षति रू0 5,858.00 आंकलित की गई, जिसमें से अपचारी अधिकारी को रू0 732.00 की शासकीय क्षति हेतु आरोपित किया गया है। उक्त कार्य का अनुबंध संख्या-05 दिनांक 05.05.2016 रू0 12,34,031.03 गठित किया गया। प्रकोष्ठ की जॉच आख्या उक्त कार्य में प्रयुक्त इण्टरलांकिग टाइल्स को निकाल कर उनके नमूने परीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग, अलीगढ, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ को भेजे गये, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट में इस कार्य के भेजे गये इण्टरलांकिग सैम्पल की औसत स्ट्रेन्थ 30.80 **N/mm2** पायी गयी है, जो कि पी0डब्लू0डी0 एस0ओ0आर0 में इण्टरलांकिग टाइल हेतु वांछित न्यूनतम स्ट्रेन्थ 30.80 **N/mm2** से अधिक है तथा कार्य में प्रयुक्त इण्टरलांकिग टाइल की स्ट्रेन्थ मानक के अनुरूप होना भी प्रकोष्ठ की आख्या में इंगित किया है।

प्रकोष्ठ द्वारा आंकलित कुल शासकीय क्षति रू0 5,858.00 इंगित की गयी, जिसे संबंधित ठेकेदार द्वारा 385 रसीद सं0-391856 दिनांक 19.09.2019 रू0 5858.00 राजकीय कोष में जमा करा दिया जाना अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में लिखा है, जो शासनादेश दिनांक 14.07.2009 के अंतर्गत सहिष्णुता की सीमा 2% से कम होने के कारण आरोप स्थापित नही पाया गया।

2.4 **<u>(ए) निष्कर्ष</u>**

अतः अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोप स्थापित नही होता है।

(II) a ग्राम-जिरौली में भीकम्बर प्रजापति के घर से माता मंदिर (हसनपुर वाली) वाले रास्ते पर इण्टरलांकिग रोड का निर्माण

उपरोक्त कार्य दो भाग में हुआ है।

(II) a ग्राम-जिरौली में भीकम्बर प्रजापति के घर से माता मंदिर (हसनपुर वाली) वाले रास्ते पर इण्टरलांकिग रोड का निर्माण कार्य पर उन्हें रू0 24,080/- की शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

अपचारी अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा ग्राम जिरौली में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 24, 080/- के संबंध में अवगत कराया है कि उक्त कार्य मै0 गौरव एण्ड संस, दुर्गापुरम गॉधीनगर बुलंदशहर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा श्री आर0के0 उपाध्याय, अवर अभियंता के पर्यवेक्षण में दिनांक 26.09.2015 में पूर्ण कराया गया, जिसे 04 वर्ष व्यतीत हो चुके है। इस कार्य पर टी0ए0सी0 की जॉच आख्या में पृष्ठ-22 से 24 तक अधिकतर कार्य मानक के अनुसार पाया गया है, परन्तु 02 स्थानों पर टाइल्स की मोटाई लगभग 2 सेमी कम पायी गयी है तथा बेस कंक्रीट की मोटाई भी कही-कही पर मानक से कम पायी गयी क्योकि इस मार्ग पर बडे छोटे वाहनो के अत्याधिक चलने के कारण क्षरण होना अस्वाभाविक नही है। कार्य के अवशेष भाग (II)b में पृष्ट-25 पर टी0ए0सी0 द्वारा ही अपनी जॉच आख्या में अंकित किया गया है। इस कार्य का निरीक्षण श्री अजय सिंघल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बुलंदशहर जो इस समय किसी वृत्त के अधीक्षण अभियंता है के द्वारा किया गया था तथा कार्य संतोषजनक पाने के पश्चात उनके द्वारा भुगतान किया गया था केवल 02 स्थानों पर टाइल्स की मोटाई 2सेमी कम पायेजाने पर टी0ए0सी0 द्वारा टाइल्स की पूरी मात्रा पर शासकीय क्षति आंकलित की गयी है जो उचित प्रतीत नही होती है। फिर भी कही-कही पर मोटाई कम पाया जाना क्षरण एवं वाहनो के अत्याधिक तीव्रता आदि होने के कारण भी हो सकता है। इस कार्य पर बेस कोट भी 02 स्थान पर मानक के अनुसार कम पाया गया उसकी गणना भी पूरी मात्रा में की गयी है। कार्य सम्पादनके समय कुटाई आदि समुचित आदि न होने तथा छोटे-बडे वाहनो का कारण भी हो सकता है। बेस कंक्रीट की समुचित कुटाई न होने का कारण संबंधित ठेकेदार एवं अवर अभियंता के पर्यवेक्षण में कमी प्रतीत होती है। जनपद बुलंदशहर में 16 विकास खण्ड है, जिसमें सहायक अभियंता के 05 पद सृजित होने के विरूद्व केवल 02 सहायक अभिंयता तैनात थे। 01 सहायक अभियंता पर 08 विकास खण्ड का चार्ज होने के कारण प्रत्येक कार्य की मदों को चेक करना असंभव था। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी एवं विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्य पूर्ण कराने एवं भुगतान कराने का दबाव हर समय रहता है। उक्त कार्यो के पर्यवेक्षण के लिये अवर अभियंता को ध्यान रखना चाहिये था। प्रचुर मात्रा में कार्य होने एवं उनका समुचित निरीक्षण न होने के संबंध में श्री हसनैन अहमद द्वारा परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास को पत्र भी दि0 05.07.2017 में लिखा गया था।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना (ग्राम जिरौली)</u>

उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 23,97,000.00 के सापेक्ष कार्य की अनुबंधित लागत 23,96,744.65 है। प्रकोष्ठ की जॉच आख्या उक्त कार्य में प्रयुक्त इंटरलांकिग टाइल्स को निकालकर उनके नमूने परीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ को भेजे गये, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट में इस कार्य के भेजे गये इण्टरलांकिग सैम्पल की औसत स्ट्रेन्थ 30.80 **N/mm2** पायी गयी है, जो कि पी0डब्लू0डी0 एस0ओ0आर0 में इण्टरलांकिग टाइल हेतु वांछित न्यूनतम स्ट्रेन्थ 30.80 **N/mm2** से अधिक है। उक्त कार्य में प्रयुक्त इण्टरलांकिग टाइल्स को निकालकर उसकी मोटाई चैक की गयी जो 77 एम0एम0 एवं 78 एम0एम0 पायी गयी, जो कि निर्धारित मानक 80 एम0एम0 से कम है। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि कार्यो की प्रत्येक मद को चैक करना असंभव था, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह अपने सहायक अभियंता के कर्तव्यों के प्रति सजग नही रहे, जिसके कारण कार्य में कमी पाया जाना प्रकोष्ठ की जॉच आख्या में भी इंगित किया है।

उपरोक्त के कारण कुल शासकीय क्षति 1,92,644.00 रू0 आंकलित की गयी, जो परियोजना की कुल लागत रू0 23,96,744.65 का 8.0**%** है, जो सहिष्णुता की सीमा 2**%** से अधिक होने के कारण उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होना पाया गया।

<u>2.4 (ए) निष्कर्ष</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अतः अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोपांश स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

II (a) ग्राम जिरौली में भीमम्बर प्रजापति के घर से माता मन्दिर हसनपुर वाले रास्ते पर इण्टर <u>लॉकिंग कार्य पर 24080.00 की शासकीय क्षति के लिए आरोपित किया है।</u>

उक्त कार्य उनकी सेवानिवृत्ति के लगभग 3 वर्ष पूर्व सम्पादित कराया गया था। टी0ए0सी0 की जांच श्री हसनैन अहमद, अधिशासी अभियन्ता की शिकायत पर उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात हुई। जांच के समय उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी तथा न ही वे जांच के समय उपस्थित थे। जांच अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में अंकित किया है कि इण्टरलॉकिंग टाईल्स की जांच कराई गई थी जो स्ट्रेन्थ में वांछित न्यूनतम स्ट्रेन्थ 30.80 **N/m2** से अधिक पाई गई परन्तु एक दो स्थानों पर टाईल की मोटाई 2 सेमी0 कम पाई गई। टी0ए0सी0 द्वारा एक दो स्थानों पर कम पाये जाने के फलस्वरूप कार्य पर प्रयुक्त समस्त टाईल पर क्षति आंकलित कर दी गई, जिससे वें सहमत नहीं है क्योंकि इस कार्य का निरीक्षण श्री ए0के0 सिंघल तत्का0 अधिशासी अभियन्ता जो इस समय इसी मण्डल में अधीक्षण अभियन्ता है निरीक्षण करने के पश्चात उनके द्वारा भुगतान किया गया था। मार्ग पर माता मन्दिर होने के कारण ट्रेफिक की तीव्रता अधिक है। अतः टाइल क्षरण होना सम्भव है। फिर भी टी0ए0सी0 द्वारा इस कार्य पर कुल रूपये 1,92,644.00 की क्षति आंकलित की गई थी, जिसमें उन्हें 24,080.00 की क्षति के लिए दोषी पाया था। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अपनी कमी मानते हुए उनके ऊपर लगाई गई क्षति तथा उनके ऊपर लगाई गई क्षति (रूपये 96,322 + 24,080= 1,20,402/-) राजकीय कोष में जमा करा दी गयी है, उनके सेवा निवृत्त हुए लगभग 3 वर्ष 2 माह से अधिक का समय हो गया है तथा उपरोक्त कार्य भी उनकी सेवानिवृत्ति के लगभग 3 वर्ष पूर्व सम्पादित हुआ है।

(II) <u>b</u> ग्राम-जिरौली में भीकम्बर प्रजापति के घर से माता मंदिर (हसनपुर वाली) वाले रास्ते का अवशेष भाग पर रू0 3,929/- की शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।

<u>2.2 (II) b अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

अपचारी अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा ग्राम किशनपुर में परिलक्षित शासकीय क्षति में अवगत कराया है कि टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति रू0 3929/- 2 प्रतिशत सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत है जिसे शासनादेश दि0 14.07.2009 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2.2 **(II) b- <u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना</u>**

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत ग्राम जिरौली में भीकम्बर प्रजापति के घर से माता मंदिर (हसनपुर वाली) वाले रास्ते पर अवशेष भाग पर इण्टरलांकिग रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के कारण कुल शासकीय क्षति रू0 31,430.00 आंकलित की गई, जिसमें से अपचारी अधिकारी को रू0 3,929.00 की शासकीय क्षति हेतु आरोपित किया गया है।

उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 23,76,377.00 है। उक्त कार्य में प्रयुक्त इण्टरलांकिग टाइल्स की स्ट्रेन्थ मानक के अनुरूप है, उक्त कार्य के नमूने परीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को भेजे गये, जिसकी रिपोर्ट 30.80 **N/mm2** पायी गयी है, जो कि पी0डब्लू0डी0 एस0ओ0 आर0 में इण्टरलांकिग टाइल हेतु वांछित न्यूनतम स्ट्रेन्थ **N/mm2** से अधिक होना तथा प्रयुक्त इण्टरलांकिग टाइल्स की स्ट्रेन्थ मानक के अनुरूप होना प्रकोष्ठ की जॉच आख्या में इंगित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतः उक्त कार्य पर कुल शासकीय क्षति 31,430.00 रू0 आंकलित की गयी, जो परियोजना की कुल लागत रू0 21,76,377.00 का 1.4 **%** है, तथा उक्त धनराशि को संबंधित ठेकेदार द्वारा 385 रसीद सं0-391860 दि0 27.09.2019 रू0 31,430.00 राजकोष में जमा करा दिये जाने से अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में इंगित किया है। अतः उक्त शासकीय क्षति कार्य की कुल लागत से 2 **%** कम होने तथा सहिष्णुता की सीमा के अंतर्गत होने के कारण उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होना नही पाया गया।

2.4 (ii) b- निष्कर्ष

अतः अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोपांश स्थापित होता है।

(III) ग्राम ततारपुर में मदरसे से मस्जिद तक इण्टरलांकिग कार्य पर उन्हें 2220/- रू0 की शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।

2.2-**(iii) अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर**

अपचारी अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा ग्राम किशनपुर में परिलक्षित शासकीय क्षति में अवगत कराया है कि टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति रू0 2220/- 2 प्रतिशत सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत है जिसे शासनादेश दि0 14.07.2009 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(2.3.**(iii) जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना**

उक्त कार्य डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम ततारपुर में मदरसे से मस्जिद तक इण्टरलांकिग कार्य कराये जाने के कारण कुल शासकीय क्षति रू0 17,758.00 आंकलित की गई, जिसमें से अपचारी अधिकारी को रू0 2,220.00 की शासकीय क्षति हेतु आरोपित किया गया है।

उक्त कार्य की अनुबंधित लागत 12,67,554.00 है। प्रकोष्ठ द्वारा उक्त कार्य के नमूने परीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग, अलीगढ मुस्लिम विश्व विद्यालय, अलीगढ को भेजे गये, जिसकी रिपोर्ट 30.80 **N/mm2** पायी गयी है, जो कि पी0डब्ल्0डी0-एस0ओ0आर0 में इण्टरलांकिग टाइल हेतु वांछित न्यूनतम स्ट्रेन्थ 30.80 30 **N/mm2** से अधिक होना तथा प्रयुक्त इण्टरलांकिग टाइल्स की स्ट्रेन्थ मानक के अनुरूप होना प्रकोष्ठ की जॉच आख्या में इंगित है।

अतः उक्त कार्य पर कुल शासकीय क्षति 17,758.00 रू0 आंकलित की गयी, जो परियोजना की कुल लागत रू0 12,67,554.00 का 1.4**%** है। उक्त धनराशि को संबंधित ठेकेदार द्वारा 385 रसीद सं0-391881 दि0 18.10.2019 रू0 17,758.00 के द्वारा राजकोष में जमा करा दिया जाना अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में इंगित किया है। अतः उक्त कार्य पर हुई क्षति कार्य की कुल लागत से 2**%** से कम होने तथा सहिष्णुता की सीमा के अंतर्गत होने के कारण उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होना नही पाया गया।

2.4 **(iii) निष्कर्ष**

अतः उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित नही होता है।

(iv) ग्राम ऊंचा गांव में पंजाब नेशनल बैंक के सामने ग्राम के बीच जाने वाली सड़क पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर उन्हें 2241/- रू0 की शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।

2.2 - **(iv) अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर**

अपचारी अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा ग्राम किशनपुर में परिलक्षित शासकीय क्षति में अवगत कराया है कि टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति रू0 2241/- 2 प्रतिशत सहिष्णुता सीमा के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अंतर्गत है जिसे शासनादेश दि0 14.07.2009 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2.3-(iv) <u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना</u>

उक्त कार्य सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत ग्राम ऊँचागांव में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के कारण कुल शासकीय क्षति रू0 17,933.00 आंकलित की गयी, जिसमें से अपचारी अधिकारी को रू0 2,241.00 की शासकीय क्षति हेतु आरोपित किया गया है।

उक्त कार्य की अनुबंधित लागत 19,19,145.00 है। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1:2:4 सी0सी0 कार्य एवं 1:6:12 बेस कंक्रीट कार्य के नमूने परीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ को भेजे गये, जिसके परिणाम एवं विशिष्टियों में प्राविधानित अनुपात में विचलन +/-10% की परिशुद्वता के अंतर्गत है। उक्त कार्य में कुल शासकीय क्षति 17,933.00 रू0 आंकलित की गयी, जो परियोजना की कुल लागत रू0 19,19,145.00 का 0.93% है। इस संबंध में अपचारी अधिकारी ने बचाव उत्तर में अवगत कराया है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा कुल शासकीय क्षति रू0 17,933.00 को टोकन नं0--051945535 दि0 20.08.2019 से राजकोष में जमा करा दिये जाने तथा शासनादेश दिनांक 14.07.2009 में दिये गये प्राविधान के अनुसार कार्य की लागत से 2 प्रतिशत कम होने तथा सहिष्णुता की सीमा के अंतर्गत होने के कारण उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होना नही पाया गया।

2.4-(iv) <u>निष्कर्ष</u>

अतः अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोप स्थापित नही होता है।

(V) **डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम बच्चीखेडा में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य पर उन्हें कुल 29,149/- (25543+3606) रू0 की शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।**

2.2-(V) <u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

अपचारी अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य का प्राक्कलन श्री बी0पी0 सिरोही अवर अभियंता द्वारा गठित किया गया था। टी0ए0सी0 की जॉच आख्या में उल्लेख किया गया है कि विभाग द्वारा अम्बेडकर गांव में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण की योजना में सी0सी0 रोड स्लैब 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लो0नि0वि0 के मद 279(ए) का प्राविधान करने के निर्देश थे और तदनुसार लोहिया ग्रामों में भी यही मानक व विशिष्टिया शासनादेश दिनांक 13.12.2012 में निर्धारित किये गये थे। उक्त शासनादेश में कही पर भी यह स्पष्ट नही किया गया है कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित ग्रामों की गलियों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्य में प्रयोग की गयी विशिष्टियों व मानकों के अनुरूप कराया जायेगा तथा न ही उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि रोड के स्लैब के निर्माण में दरों का प्राविधान लो0नि0वि0 उ0प्र0 के एस0ओ0आर0 मद सं0-279ए में प्राविधानित दरों का प्राविधान किया जायेगा। अवर अभियंता द्वारा प्राक्कलन में लो0नि0वि0, बुलंदशहर में प्रचलित शिडयूल आफ रेट वृत्त के अधीक्षण अभियंता के पत्र दि0 13.11.2015 द्वारा जारी रेट जो कि इसी वृत्त के अधीन अधिशासी अभियंताओं व अन्य विभाग के अभियंताओं द्वारा अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 वृत्त बुलंदशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण हेतु उक्त रेट के मद संख्या-20.18 जोकि शिडयूल आफ रेट के पृष्ठ सं0-55 पर 10 सेमी0 मोटी स्लैब 1:2:4 के अनुपात में निर्माण कार्य कराने हेतु रू0 6550 प्रति घनमी0 प्राविधानित है जिसमें सीमेंट कन्जप्शन के अनुसार 67/- रू0 प्रति बैंग अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0 वृत्त, बुलंदशहर के पत्र दिनांक 04.01.2016

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में निहित प्राविधान के अनुसार कुल 452.92 पैसे घटाते हुये अवर अभियंता द्वारा प्राक्कलन में 6097/- रू0 प्रति घनमी0 का प्राविधान किया गया है। उक्त दरें बुलंदशहर वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग जिनका नोडल लो0नि0वि0, बुलंदशहर है के प्राक्क्लनों में प्राविधानित किया गया है। उक्त प्राक्कलन को श्री गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रखण्ड कार्यालय में चेक करने व तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। श्री गुप्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रखण्ड में अम्बेडकर गांव में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का कार्य कभी नही कराया गया था। मेरठ, वृत्त, लो0नि0वि0 द्वारा अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का कार्य कराया गया था, जिनमें उनके द्वारा वर्ष 2009 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में 279ए में हेशनक्लाथ एवं मैटेरियल शिफिटंग आदि जोडकर उक्त मद का विश्लेषण किया गया था, जिसको अधि0अभि0 लो0नि0वि0 मेरठ वृत्त द्वारा स्वीकृत किया गया था क्योंकि 279ए शासनादेश दि0 13.12.2012 के अंतर्गत समग्र ग्राम सी0सी0 रोड की विशिष्टियों के लिये परिपूर्ण नही है। फिर भी शासनादेश में अंकित न होने के पश्चात भी 279ए में वर्तमान में प्रचलित शिडयूल आफ रेट लो0नि0वि0 के अनुसार विश्लेषण करने पर दर रू0 6119 प्रति घनमी0 आती है जो प्राक्कलन में लगायी गयी दरों से अधिक है। अत: श्री गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर की दर न्यूनतम है जिससे कोई शासकीय क्षति नही हुई है। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन में फिर भी दरों में कोई कमी थी तो प्रखण्डीय संगणक/अवर अभियंता तकनीकी द्वारा उसे काटकर सही करना चाहिए था जैसा प्रखण्ड में अन्य प्राक्कलनों में भी दरें चेक कर काटकर सही करते थे। प्राक्कलनों की दर चेक करने व सही करनेकी पूर्णतया जिम्मेदारी प्रखण्डीय संगणक/अवर अभियंता तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी की होती है।

2.3-(V) <u>"क" जांच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना</u>

उक्त कार्य डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम बच्चीखेडा में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के कारण कुल शासकीय क्षति रू0 1,02,172 आंकलित की गई, जिसमें से अपचारी अधिकारी को रू0 25,543.00 की शासकीय क्षति हेतु आरोपित किया गया है।

अपचारी अधिकारी द्वारा निर्मित गलियों में सी0सी0 रोड के निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन में 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लोक निर्माण विभाग के मद सं0-279(ए) का प्राविधान करने के निर्देश थे, जबकि अपचारी कर्मचारी के द्वारा उक्त **SOR** के क्रमांक-20.18 (**New Item**) का प्रयोग करने के फलस्वरूप टी0ए0सी0 द्वारा अपनी आख्या में 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट की मद में अधिक दर का प्राविधान किये जाने के कारण परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 1,02,172.00 इंगित है, जिसे प्राक्कलन गठित करने वाले अवर अभियंता/संगणक/सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता सहित चारो को बराबर-बराबर उत्तरदायी ठहराते हुये प्रत्येक को रू0 25,543.00 की शासकीय क्षति हेतु उत्तरदायी ठहराया गया है जिसे अपचारी कर्मचारी ने अपने बचाव उत्तर में ऐसा कोई प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत नही किया है, जिससे उक्त शासकीय क्षति से अवमुक्त किया जा सके। अतः प्राक्कलन में मद सं0-279ए का प्राविधान न कर क्रमांक-20.18 का प्रयोग कर अधिक दरों का प्राविधान किये जाने के कारण उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होना पाया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

<u>आरोप-2(V)क</u> :- डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम बच्छी खेडा में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य <u>के प्रांकलन में रू0 25,543.00 की शासकीय क्षति के लिए</u> <u>आरोपित किया गया है।</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जांच अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में लिखा गया है कि प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लोक निर्माण विभाग के मद सं0 279**(a)** का प्राविधान करने के निर्देश थे।

वे उक्त कथन से सहमत नहीं है क्येंकि यह पूर्णतः गलत है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के अन्तर्गत जारी किसी भी शासनादेश में सी0सी0 रोड स्लैब में मद संख्या 279**(a)** लगाने के लिए इंगित नहीं किया गया टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट शासनादेश संख्या 685/23-9-2012 3-स0वि0/2012 दि0 13.12.2012 के द्वारा 279**(a)** लगाने का जिक्र किया गया है, जबकि उक्त शासनादेश में कहीं पर भी उपरोक्त मद संख्या 279**(a)** का लगाने का वर्णन नहीं किया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 के समस्त प्रखण्डों में लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 के शेड्यूल ऑफ रेट एवं विशिष्ठियों के अनुरूप कार्य कराया जाता है।

अतः उपरोक्त कार्य के प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब की दरें लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 बुलन्दशहर, वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 6966/48एम बुलन्दशहर वृत्त2015 दि0 13.11.2015 द्वारा जारी शेड्यूल आफ रेट जो कि इसी वृत्त के अधीन अधिशासी अभियन्ताओं व अन्य विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 वृत्त, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण हेतु उक्त शेड्यूल आफ रेट के मद सं0 20.18 जो कि शेड्यूल आफ रेट के पृष्ठ संख्या-55 पर 10सेमी0 मोटी स्लैब 1:2:4 अनुपात में निर्माण कार्य हेतु लगाया गया है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मेरठ मण्डल के सभी जनपदों में भी इसी मद सं0 20.18**(a)** का प्रयोग किया गया है

इस प्रखण्ड उक्त प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब 20.18**(a)** की दरें 6079.00 प्रति घ0मी0 लगाई गई जो अन्य जनपदों में 10सेमी0 सी0सी0 रोड स्लैब के लिये प्रांकलन में लगाई गई दरों से कम है। इसके अतिरिक्त कानपुर मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा भी डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के शासनादेश सं0-685 दिनांक 13.12.2012 के अनुसार उक्त मद के लिये 7,000/- रूपये प्रति घन मीटर दरें स्वीकृत की है तथा यह लिखा है कि लोक निर्माण विभाग, कानपुर मण्डल में उक्त मद की दरें स्वीकृत होने के पश्चात उपरोक्त दरें निष्प्रभावी हो जायेगी, क्योंकि उस समय लोक निर्माण विभाग, कानपुर मण्डल के शिड्यूल ऑफ रेट में उपरोक्त 10 सेमी0 सी0सी0 रोड स्लैब की दरों का प्राविधान नहीं था। इस प्रखण्ड में उपरोक्त मद की लगायी गयी दरें न्यूनतम हैं। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रांकलन की दरें अनुमानित होती हैं। कार्य निविदा प्राप्त कर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर अनुबन्ध गठित करने के पश्चात कराया जाता है। इस कार्य की निविदा प्रतिशत कम थी जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध गठित कर कार्य कराया गया। अतः उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि आरोपित कार्य को करवाने हेतु निर्माण सामग्री, विशिष्टियों, कार्य मदों एवं अनुबन्धित दस्तावेज प्रांकलन में दी गयी दरों पर कार्य न कराने तथा प्रचलित दरों के अनुरूप व्यय न किये जाने के कारण आरोपित शासकीय क्षति वास्तविक शासकीय क्षति नहीं हैं। जैसा कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 29.01.2020 में भी अंकित है उक्त कार्यों में दरों के कारण कोई भी शासकीय क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त प्रांकलन गठन में किसी भी मद (20.18) का प्राविधान करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-बुलन्दशहर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

<u>भाग-ख</u>

<u>2.2-(V) "ख" अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा ग्राम बच्चीखेडा में परिलक्षित शासकीय क्षति में अवगत कराया है कि टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति रू0 3606/- 2 प्रतिशत सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत है जिसे शासनादेश दि0 14.07.2009 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2.3-(V)"ख" जांच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना

उक्त कार्य बिन्दु-ख से झ तक डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम बच्चीखेडा में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के कारण कुल शासकीय क्षति रू0 20,608.00 आंकलित की गई है, जिसमें से अपचारी अधिकारी को रू0 3,606.00 की शासकीय क्षति हेतु आरोपित किया गया है।

इसी कार्य के बिन्दु-ख से झ तक कुल 11 गलियों को प्रकोष्ठ द्वारा चैक किया गया, जिसमें अधिकतर कार्य मानक के अनुसार पाया गया तथा सी0सी0 पेवमेंट 1:2:4 एवं बेस कंक्रीट 1:6:12 के प्रयुक्त मसाले की टेस्टिंग विभाग, अध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय से चैक करायी गयी जो मानक के अनुरूप पायी गयी, जैसा कि टी0ए0सी0 की जॉच आख्या में भी अंकित है। पी0सी0 सी0 1:2:4 की स्ट्रेन्थ कहीं-कहीं पर मानक के अनुसार कम पाया जाना प्रकोष्ठ ने अपनी जॉच आख्या में इंगित किया है। प्रकोष्ठ द्वारा उक्त कार्य पर निकाली गयी वसूली को संबंधित ठेकेदार द्वारा राजकोष में जमा करना भी अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में इंगित किया है। प्रकोष्ठ द्वारा उक्त कार्य हेतु कुल शासकीय क्षति रू0 20,608.00 आंकलित की गयी है, जो परियोजना की कुल लागत 24,55,003.99 का मात्र 0.83% है, जो कि शासनादेश दिनांक 14.07.2009 के अंतर्गत सहिष्णुता सीमा 2% से कम होने के कारण उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होना नही पाया गया।

2.4-(V) "क" "ख" निष्कर्ष

अतः अपचारी अधिकारी पर बिन्दु-"क" में अधिक दरों का प्राविधान किये जाने के निमित्त उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है, किन्तु बिन्दु "ख" से "झ" तक के कार्यो में सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत होने के कारण उक्त आरोपांश स्थापित होना नही पाया गया।

(vi) डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम गेसूपुर में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण

उक्त कार्य में अधोमानक कार्य हेतु रू0 3,685/- की शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।

2.2(vi) अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा ग्राम गेसुपुर में परिलक्षित शासकीय क्षति में अवगत कराया है कि टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति रू0 3685/- 2 प्रतिशत सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत है जिसे शासनादेश दि0 14.07.2009 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2.3.(vi) जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम गेसूपुर में अपचारी अधिकारी को "ख" से य" तक की गलियों के अधोमानक कार्य कराये जाने हेतु आरोपित किया गया है। प्रकोष्ठ की जॉच आख्या में उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत रू0 30.00 लाख थी, जिसके सापेक्ष कार्य की अनुबंधित लागत रू0 23,75,763.42 होना इंगित है। प्रकोष्ठ द्वारा अपनी जॉच आख्या में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कुल रू0 80,297.00 + 21,057.00 = 1,01,354.00 की शासकीय क्षति आंकलित की गई, जिसमें से अपचारी अधिकारी को बिन्दु ''ख से य'' तक के कार्यो हेतु कुल मु0 रू0 21,057.31 की शासकीय क्षति में से अपचारी अधिकारी को रू0 3,685.00 के लिये आरोपित किया गया है।

इसी आरोप में ग्राम गेसूपुर की कतिपय गलियों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो की प्रकोष्ठ द्वारा की गयी जॉच में बिन्दु सं0-''ख'' से ''य'' तक की गलियों हेतु कुल आंकलित क्षति रू0 21,057.00 है, जो परियोजना की कुल लागत 23,75,763.42 का मात्र 0.88 **%** है। उक्त गलियों में प्रयुक्त सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 एवं 1:6:12 सीमेंट सैण्ड एवं लीन कंक्रीट कार्य में प्रयुक्त कंक्रीट के नमूने विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ से परीक्षण के उपरांत अवयवों के अनुपात में अंतर नगण्य है। शासनादेश दिनांक 14.07.2009 का उल्लेख करते हुये शासकीय क्षति कार्य की कुल लागत से 2% से कम सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत होने तथा कार्य से संबंधित वसूली अंकन रू0 21,057.00 को संबंधित ठेकेदार द्वारा बाउचर सं0-46 दिनांक 18.07.2019 के द्वारा अपनी जमानत राशि से कटवाकर जमा करा दिये जाने से अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में इंगित किया है। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं उक्त शासनादेश के आलोक में अपचारी अधिकारी को उक्त आरोपांश से मुक्त किया जा सकता है।

2.3-(VI) -निष्कर्ष

अतः अपचारी अधिकारी को बिन्दु ''ख'' से ''य'' तक के कार्यो हेतु सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत होने के कारण उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित नही होता है।

(vii) डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम शाहनगर में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण

उक्त कार्य में कुल रू0 23,483.00 की शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।

क- प्राक्कलन में अधिक दरें स्वीकृत कराने के संबंध में शासकीय क्षति 21,117/- रू0

ख- कार्य अधोमानक के लिये 23,066/- रूपये

2.2(Vii क) अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

कार्य का प्राक्कलन श्री राजेश कुमार, अवर अभियंता द्वारा गठित किया गया था, जिसमें मुख्य प्राविधिक परीक्षक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग द्वारा अम्बेडकर गॉवो में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण की योजना में सी0सी0 रोड स्लैब 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लोक निर्माण विभाग के मद 279ए का प्राविधान करने के निर्देश थे और तदनुसार ही लोहिया समग्र ग्रामों में भी यही मानक व विशिष्टियां शासनादेश दिनांक 13;12;2012 द्वारा निर्धारित किये गये थे। शासनादेश दिनांक 13.12.2012 में कहीं पर यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनामें चयनित ग्रामों की गलियों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्यो में प्रयोग की गयी विशिष्टियों व मानको के अनुरूप कराया जायेगा तथा न ही उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि सी0सी0 रोड स्लैब के निर्माण में दरों का प्राविधान लो0नि0वि0 उत्तर प्रदेश के एस0ओ0आर0 के मद संख्या'279(ए) में प्राविधानित दरों का प्राविधान किया जायेगा। अवर अभियंता द्वारा प्राक्क्लन में लो0नि0वि0 उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में प्रचलित शिडयूल् आफॅ रेट, बुलंदशहर वृत्त के अधीक्षण अभियंता के पत्र दिनांक 13.11.2015 द्वारा जारी शिडयूल आफॅ रेट जो कि इसी वृत्त के अधीन अधिशासी अभियंताओं व अन्य विभाग के अधिशासी अभियंताओं द्वारा अधीक्षण अभिंयता लो0नि0वि0 वृत् बुलंदशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण हेतु उक्त शिडयूटल आफॅ रेट के मद संख्या-20.18 जो कि शिडयूल आफ रेट के पृष्ठ संख्या-55 पर 10 से0मी0 मोटीउ स्लैब 1:2:4 के अनुपात में निर्माण कार्य कराने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हेतु रू0 6550/- प्रति घन मी0 प्राविधानित है, जिसमें सीमेंट कन्समटेशन के अनुसार 67/- रू0 प्रति बैंग अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0 वृत्त, बुलंदशहर के पत्र दिनांक 04.01.2016 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में निहित प्राविधान के अनुसार कुल 452.92 पैसे घटाते हुये अवर अभियंता द्वारा प्राक्कलन में 6097/- रू0 प्रति घनमी0 का प्राविधान किया गया है। उक्त दरें बुलंदशहर वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग जिनका नोडल लो0नि0वि0, बुलंदशहर है के प्राक्कलनों में प्राविधानित किया गया है। उक्त प्राक्कलन को श्री गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रखण्ड कार्यालय में चेक करने व तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। श्री गुप्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रखण्ड में अम्बेडकर गांव में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का कार्य कभी नही कराया गया था। मेरठ, वृत्त, लो0नि0वि0 द्वारा अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का कार्य कराया गया था, जिनमें उनके द्वारा वर्ष 2009 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में 279ए में हेशनक्लाथ एवं मैटेरियल शिफिटंग आदि जोडकर उक्त मद का विश्लेषण किया गया था, जिसको अधि0अभि0 लो0नि0वि0 मेरठ वृत्त द्वारा स्वीकृत किया गया था क्योंकि 279ए शासनादेश दि0 13.12.2012 के अंतर्गत समग्र ग्राम सी0सी0 रोड की विशिष्टियों के लिये परिपूर्ण नही है। फिर भी शासनादेश में अंकित न होने के पश्चात भी 279ए में वर्तमान में प्रचलित शिडयूल आफ रेट लो0नि0वि0 के अनुसार विश्लेषण करने पर दर रू0 6119 प्रति घनमी0 आती है जो प्राक्कलन में लगायी गयी दरों से अधिक है। अत: श्री गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर की दर न्यूनतम है जिससे कोई शासकीय क्षति नही हुई है। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन में फिर भी दरों में कोई कमी थी तो प्रखण्डीय संगणक/अवर अभियंता तकनीकी द्वारा उसे काटकर सही करना चाहिए था जैसा प्रखण्ड में अन्य प्राक्कलनों में भी दरें चेक कर काटकर सही करते थे। प्राक्कलनों की दर चेक करने व सही करने की पूर्णतया जिम्मेदारी प्रखण्डीय संगणक/अवर अभियंता तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी की होती है।

2.2 (viiक) जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम शाहनगर में ''क से च'' तक की गलियों के निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत रू0 30.00 लाख के सापेक्ष रू0 24,89,376.98 का अनुबंध गठित किया गया। प्रकोष्ठ की जॉच आख्या में रू0 84,466.00 + 19,153.00 कुल रू0 1,03,619.00 की शासकीय क्षति आंकलित की गई, जिसमें से रू0 23,483.00 की क्षति हेतु अपचारी कर्मचारी को आरोपित किया गया है।

अपचारी अधिकारी द्वारा प्रेषित बचाव उत्तर एवं प्रकोष्ठ की गयी जॉच आख्या की विवेचना करने पर पाया गया, कि ग्राम शाहनगर में बिन्दु संख्या-''क'' में अधिक दरों का प्राविधान किये जाने के कारण परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 84,466.00 की आंकलित की गयी है, जिसमें से अपचारी अधिकारी को रू0 21,117.00 की शासकीय क्षति हेतु उत्तरदायी माना है।

अपचारी अधिकारी द्वारा सी0सी0 रोड के निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन में मद सं0-279ए के स्थान पर क्रमांक-20.18 प्रयोग कर अधिक दरों का प्राविधान किये जाने के कारण शासकीय क्षति रू0 84,466.00 की आंकलित की गयी, जिसे प्रकोष्ठ द्वारा भी अपनी आख्या में प्राक्कलन गठित करने वाले अवर अभियंता, सहायक अभियंता, प्राक्कलन की दरों एवं प्राविधानों की चेकिंग के लिये जिम्मेदार संगणक एवं प्राक्कलन स्वीकृत करने वाले अधिशासी अभियंता चारो को बराबर-बराबर उत्तरदायी मानते हुये गठित प्राक्कलन में अधिक दरों का प्राविधान किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नही होता है जिसके लिये अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोपांश स्थापित होना पाया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

आरोप 2क(vii)-डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम शाहनगर में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण हेतु <u>प्रांकलन में अधिक दरें लगाने हेतु रूपये 21,117.00 के लिए आरोपित किया गया है।</u>

जांच अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में लिखा गया है कि प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लोक निर्माण विभाग के मद सं0 279**(a)** का प्राविधान करने के निर्देश थे।

वे उक्त कथन से सहमत नहीं है क्येंकि यह पूर्णतः गलत है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के अन्तर्गत जारी किसी भी शासनादेश में सी0सी0 रोड स्लैब में मद संख्या 279**(a)** लगाने के लिए इंगित नहीं किया गया टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट शासनादेश दिनांक 13.12.2012 के द्वारा 279**(a)** लगाने का जिक्र किया गया है, जबकि उक्त शासनादेश में कहीं पर भी उपरोक्त मद संख्या 279**(a)** का लगाने का वर्णन नहीं किया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 के समस्त प्रखण्डों में लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 के शेड्यूल ऑफ रेट एवं विशिष्ठियों के अनुरूप कार्य कराया जाता है ।

अतः उपरोक्त कार्य के प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब की दरें लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 बुलन्दशहर, वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता के पत्र दिनांक 13.11.15 द्वारा जारी शेड्यूल आफ रेट जो कि इसी वृत्त के अधीन अधिशासी अभियन्ताओं व अन्य विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उ0प्र0 वृत्त बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण हेतु उक्त शेड्यूल आफ रेट के मद सं0 20.18 जो कि शेड्यूल आफ रेट के पृष्ठ संख्या 55 पर 10सेमी0 मोटी स्लैब 1:2:4 अनुपात में निर्माण कार्य हेतु लगाया गया है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मेरठ मण्डल के सभी जनपदों में भी इसी मद सं0 20.18**(a)** का प्रयोग किया गया है।

उक्त प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब 20.18**(a)** की दरें 6079.00 प्रति घ0मी0 लगाई गई जो अन्य जनपदों में 10सेमी0 सी0सी0 रोड स्लैब के लिये प्रांकलन में लगाई गई दरों से कम है। इसके अतिरिक्त कानपुर मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा भी डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के शासनादेश सं0-685 दिनांक 13.12.2012 के अनुसार उक्त मद के लिये 7000/- रूपये प्रति घन मीटर दरें स्वीकृत की है तथा यह लिखा है कि लोक निर्माण विभाग कानपुर मण्डल में उक्त मद की दरें स्वीकृत होने के पश्चात उपरोक्त दरें निष्प्रभावी हो जायेगी, क्योंकि उस समय लोक निर्माण विभाग कानपुर मण्डल के शिड्यूल ऑफ रेट में उपरोक्त 10 सेमी0 सी0सी0 रोड स्लैब की दरों का प्राविधान नहीं था। इस प्रखण्ड में उपरोक्त मद की लगायी गयी दरें न्यूनतम हैं। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया है कि प्रांकलन की दरें अनुमानित होती हैं। कार्य निविदा प्राप्त कर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर अनुबन्ध गठित करने के पश्चात कराया जाता है। इस कार्य की निविदा प्रतिशत कम थी जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध गठित कर कार्य कराया गया। अतः उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि आरोपित कार्य को करवाने हेतु निर्माण सामग्री विशिष्टियों, कार्य मदों एवं अनुबन्धित दस्तावेज प्रांकलन में दी गयी दरों पर कार्य न कराने तथा प्रचलित दरों के अनुरूप व्यय न किये जाने के कारण आरोपित शासकीय क्षति वास्तविक शासकीय क्षति नहीं हैं। जैसा कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 29.01.2020 में भी अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्यों में दरों के कारण कोई भी शासकीय क्षति नहीं हुई है। जिससे शासन को क्षति की वजाय लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि प्रांकलन गठन में किसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भी मद (20.18) का प्राविधान करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-बुलन्दशहर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

2.3(Vii ख) अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा ग्राम शाहनगर में परिलक्षित शासकीय क्षति में अवगत कराया है कि टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति रू0 2366/- 2 प्रतिशत सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत है जिसे शासनादेश दि0 14.07.2009 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2.4(Vii ख) जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना

बिन्दु-''ख'' से ''च'' तक इसी आरोप में अपचारी अधिकारी द्वारा ग्राम की कतिपय गलियों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में प्रकोष्ठ द्वारा जॉच की गई, जिसमें बिन्दु सं0-''ख से च'' तक की गलियों में प्रयुक्त सीमेंट कंक्रीट में 1:2:4 का कार्य एवं लीन कंक्रीट 1:6:12 का कार्य मानक के अनुरूप पाया जाना प्रकोष्ठ की आख्या में इंगित है जिसके नमूने रसायनिक परीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ को भेजे गये, जिसमें मानक के अनुरूप होना भी प्रकोष्ठ की जॉच आख्या में इंगित है। शासनादेश दिनांक 14.07.2009 का उल्लेख तथा कार्य से संबंधित वसूली अंकन रू0 19,153.00 को संबंधित ठेकेदार द्वारा जमा करा दिये जाने संबंधी साक्ष्य अपचारी अधिकारी ने बचाव उत्तर के साथ संलग्न किया है।

अतः अपचारी अधिकारी द्वारा प्रेषित बचाव उत्तर एवं शासनादेश के अनुसार ग्राम शाहनगर में ''ख'' से ''च'' के निर्माण कार्यो में कुल शासकीय क्षति 19,53.00 जो परियोजना रू0 24,89,376.98 की लागत का 0.76% है। उक्त शासनादेश के अनुसार सहिष्णुता का लाभ दिया जा सकता। अतः अपचारी अधिकारी पर सी0सी0 रोड व के0सी0ड्रेन का कार्य मानक के अनुरूप न कराने का आरोप स्थापित होना नही पाया गया।

2.4 (Vii ''क'' ''ख'')-निष्कर्ष

अतः अपचारी अधिकारी पर बिन्दु ''क'' में अधिक दरों का प्राविधान किये जाने के निमित्त उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है किन्तु बिन्दु ''ख'' से ''च'' तक के कार्यो में सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत होने के कारण उक्त आरोपांश स्थापित नही होता है।

(Viii) डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम उमरारी में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण

उक्त कार्य में बिन्दु सं0-क में प्राक्कलन में अधिक दरों के प्राविधान के कारण रू0 15,066.00 की शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।

(Viii क) अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

कार्य का प्राक्कलन श्री आर0के0 उपाध्याय, अवर अभियंता द्वारा गठित किया गया था, जिसमें मुख्य प्राविधिक परीक्षक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग द्वारा अम्बेडकर गॉवो में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण की योजना में सी0सी0 रोड स्लैब 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लोक निर्माण विभाग के मद 279ए का प्राविधान करने के निर्देश थे और तदनुसार ही लोहिया समग्र ग्रामों में भी यही मानक व विशिष्टियां शासनादेश दिनांक 13.12.2012 द्वारा निर्धारित किये गये थे। शासनादेश दिनांक 13.12.2012 में कहीं पर यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित ग्रामों की गलियों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्यो में प्रयोग की गयी विशिष्टियों व मानको के अनुरूप कराया जायेगा तथा न ही उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि सी0सी0 रोड स्लैब के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्माण में दरों का प्राविधान लो0नि0वि0 उत्तर प्रदेश के एस0ओ0आर0 के मद संख्या'279(ए) में प्राविधानित दरों का प्राविधान किया जायेगा। अवर अभियंता द्वारा प्राक्कलन में लो0नि0वि0 उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में प्रचलित शिडयूल् आफॅ रेट, बुलंदशहर वृत्त के अधीक्षण अभियंता के पत्र दिनांक 13.11.2015 द्वारा जारी शिडयूल आफॅ रेट जो कि इसी वृत्त के अधीन अधिशासी अभियंताओं व अन्य विभाग के अधिशासी अभियंताओं द्वारा अधीक्षण अभिंयता लो0नि0वि0 वृत् बुलंदशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण हेतु उक्त शिडयूटल आफॅ रेट के मद संख्या-20.18 जो कि शिडयूल आफ रेट के पृष्ठ संख्या-55 पर 10 से0मी0 मोटी स्लैब 1:2:4 के अनुपात में निर्माण कार्य कराने हेतु रू0 6550/- प्रति घन मी0 प्राविधानित है, जिसमें सीमेंट कन्जपेशन के अनुसार 67/- रू0 प्रति बैंग अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0 वृत्त, बुलंदशहर के पत्र दिनांक 04.01.2016 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में निहित प्राविधान के अनुसार कुल 452.92 पैसे घटाते हुये अवर अभियंता द्वारा प्राक्कलन में 6097/- रू0 प्रति घनमी0 का प्राविधान किया गया है। उक्त दरें बुलंदशहर वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग जिनका नोडल लो0नि0वि0, बुलंदशहर है के प्राक्क्लनों में प्राविधानित किया गया है। उक्त प्राक्कलन को श्री गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रखण्ड कार्यालय में चेक करने व तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। श्री गुप्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रखण्ड में अम्बेडकर गांव में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का कार्य कभी नही कराया गया था। मेरठ, वृत्त, लो0नि0वि0 द्वारा अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का कार्य कराया गया था, जिनमें उनके द्वारा वर्ष 2009 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में 279ए में हेशनक्लाथ एवं मैटेरियल शिफिटंग आदि जोडकर उक्त मद का विश्लेषण किया गया था, जिसको अधि0अभि0 लो0नि0वि0 मेरठ वृत्त द्वारा स्वीकृत किया गया था क्योंकि 279ए शासनादेश दि0 13.12.2012 के अंतर्गत समग्र ग्राम सी0सी0 रोड की विशिष्टियों के लिये परिपूर्ण नही है। फिर भी शासनादेश में अंकित न होने के पश्चात भी 279ए में वर्तमान में प्रचलित शिडयूल आफ रेट लो0नि0 वि0 के अनुसार विश्लेषण करने पर दर रू0 6119 प्रति घनमी0 आती है जो प्राक्कलन में लगायी गयी दरों से अधिक है। अत: श्री गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर की दर न्यूनतम है जिससे कोई शासकीय क्षति नही हुई है। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन में फिर भी दरों में कोई कमी थी तो प्रखण्डीय संगणक/ अवर अभियंता तकनीकी द्वारा उसे काटकर सही करना चाहिए था जैसा प्रखण्ड में अन्य प्राक्कलनों में भी दरें चेक कर काटकर सही करते थे। प्राक्कलनों की दर चेक करने व सही करने की पूर्णतया जिम्मेदारी प्रखण्डीय संगणक/अवर अभियंता तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी की होती है।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना</u>

<u>बिन्दु सं0-''क''</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा प्रेषित बचाव उत्तर एवं प्रकोष्ठ की जॉच आख्या का परीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम उमरारी में बिन्दु सं0-''क'' में अधिक दरों का प्राविधान किये जाने के कारण परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 60,263.00 की आंकलित की गयी है, जिसमें से अपचारी अधिकारी को रू0 15,066.00 की शासकीय क्षति हेतु उत्तरदायी माना है। अपचारी अधिकारी द्वारा सी0सी0 रोड के कार्यो में 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लोक निर्माण विभाग के मद सं0-279(ए) के स्थान पर प्राविधान करने के स्थान पर क्रमांक-20.18 बी0 का प्रयोग करने के फलस्वरूप रू0 350/- प्रति घनमी0 का अधिक प्राविधान सी0सी0 रोड में 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट के मद में अधिक दरों का प्राविधान किये जाने के कारण प्राक्कलन गठित करने वाले अवर अभियंता, सहायक अभियंता, प्राक्कलन की दरों एवं प्राविधानों की चैकिंग करने वाले संगणक एवं प्राक्कलन स्वीकृत करने वाले अधिशासी अभियंता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बराबर-बराबर के उत्तरदायी है। अतः उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होना पाया जाता है।

निष्कर्ष (Viii क)

अतः अपचारी अधिकारी पर बिन्दु-''क'' में अधिक दरों का प्राविधान किये जाने के निमित्त उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

आरोप 2क(viii) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम उमरारी में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण हेतु प्रांकलन में अधिक दरें लगाने हेतु रू0 15066.00 के लिए आरोपित किया गया है।

जांच अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में लिखा गया है कि प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लोक निर्माण विभाग के मद सं0 279**(a)** का प्राविधान करने के निर्देश थे।

वे उक्त कथन से सहमत नहीं है क्येंकि यह पूर्णतः गलत है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के अन्तर्गत जारी किसी भी शासनादेश में सी0सी0 रोड स्लैब में मद संख्या 279**(a)** लगाने के लिए इंगित नहीं किया गया टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट शासनादेश संख्या 685/23-9-2012 3-स0वि0/2012 दि0 13.12.2012 के द्वारा 279**(a)** लगाने का जिक्र किया गया है, जबकि उक्त शासनादेश में कहीं पर भी उपरोक्त मद संख्या 279**(a)** का लगाने का वर्णन नहीं किया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 के समस्त प्रखण्डों में लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 के शेड्यूल ऑफ रेट एवं विशिष्ठियों के अनुरूप कार्य कराया जाता है ।

अतः उपरोक्त कार्य के प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब की दरें लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, बुलन्दशहर वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 6966/48एम बुलन्दशहर वृत्त/2015 दि0 13.11.15 द्वारा जारी शेड्यूल आफ रेट जो कि इसी वृत्त के अधीन अधिशासी अभियन्ताओं व अन्य विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 वृत्त बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण हेतु उक्त शेड्यूल आफ रेट के मद सं0 20.18 जो कि शेड्यूल आफ रेट के पृष्ठ सं0-55 पर 10सेमी0 मोटी स्लैब 1:2:4 अनुपात में निर्माण कार्य हेतु लगाया गया है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मेरठ मण्डल के सभी जनपदों में भी इसी मद सं0 20.18**(a)** का प्रयोग किया गया है।

उक्त प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब 20.18**(a)** की दरें 6079.00 प्रति घ0मी0 लगाई गई जो अन्य जनपदों में 10सेमी0 सी0सी0 रोड स्लैब के लिये प्रांकलन में लगाई गई दरों से कम है। इसके अतिरिक्त कानपुर मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा भी डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के शासनादेश सं0-685 दिनांक 13.12.2012 के अनुसार उक्त मद के लिये 7000/- रूपये प्रति घन मीटर दरें स्वीकृत की है तथा यह लिखा है कि लोक निर्माण विभाग कानपुर मण्डल में उक्त मद की दरें स्वीकृत होने के पश्चात उपरोक्त दरें निष्प्रभावी हो जायेगी, क्योंकि उस समय लोक निर्माण विभाग कानपुर मण्डल के शिड्यूल ऑफ रेट में उपरोक्त 10 सेमी0 सी0सी0 रोड स्लैब की दरों का प्राविधान नहीं था, जिससे भी प्रतीत होता है कि इस प्रखण्ड में उपरोक्त मद की लगायी गयी दरें न्यूनतम हैं। यहां यह भी अवगत कराया गया है कि कार्य निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित के पश्चात कराया जाता है। इसकी निविदा प्रांकलन की दरों से प्रतिशत कम प्राप्त हुई जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध गठित कर कार्य कराया गया। अतः उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि आरोपित कार्य को करवाने हेतु निर्माण सामग्री, विशिष्टियों, कार्य मदों एवं अनुबन्धित दस्तावेज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रांकलन में दी गयी दरों पर कार्य न कराने तथा प्रचलित दरों के अनुरूप व्यय न किये जाने के कारण आरोपित शासकीय क्षति वास्तविक शासकीय क्षति नहीं हैं। जैसा कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 29.01.2020 में भी अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्यों में दरों के कारण कोई भी शासकीय क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि प्रांकलन गठन में किसी भी मद का (20.18) प्राविधान करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-बुलन्दशहर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

यह भी अवगत कराया गया है कि इस कार्य को न तो उनकी देखरेख में कराया गया है और न ही उनके द्वारा इस कार्य का कोई भुगतान किया गया है। उक्त को आधार मानते हुए तत्क0 मुख्य अभियन्ता(प0) श्री ए0के0 गर्ग द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता जो इसी टी0ए0सी0 की जांच आख्या में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के प्रांकलन में अधिक दरों के लिये आरोपी थे जांच में आरोप मुक्त किया गया है, जिसका पत्र आपके कार्यालय ग्रा0 अभि0 अनुभाग-2 में उपलब्ध है।

(iXक) <u>डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम हसनगढ़ में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण</u>

उक्त कार्य में मुझे प्राक्कलन में अधिक दरों एवं अधोमानक कार्य के लिये रू0 38,567.00 (28495 + 10072) की शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।

<u>(IX क) अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

कार्य का प्राक्कलन श्री रोहिताश कुमार, अवर अभियंता द्वारा गठित किया गया था, जिसमें मुख्य प्राविधिक परीक्षक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग द्वारा अम्बेडकर गॉवो में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण की योजना में सी0सी0 रोड स्लैब 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लोक निर्माण विभाग के मद 279ए का प्राविधान करने के निर्देश थे और तदनुसार ही लोहिया समग्र ग्रामों में भी यही मानक व विशिष्टियां शासनादेश दिनांक 13;12;2012 द्वारा निर्धारित किये गये थे। शासनादेश दिनांक 13.12.2012 में कहीं पर यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनामें चयनित ग्रामों की गलियों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्यो में प्रयोग की गयी विशिष्टियों व मानको के अनुरूप कराया जायेगा तथा न ही उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि सी0सी0 रोड स्लैब के निर्माण में दरों का प्राविधान लो0नि0वि0 उत्तर प्रदेश के एस0ओ0आर0 के मद संख्या'279(ए) में प्राविधानित दरों का प्राविधान किया जायेगा। अवर अभियंता द्वारा प्राक्क्लन में लो0नि0वि0 उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में प्रचलित शिडयूल् आफॅ रेट, बुलंदशहर वृत्त के अधीक्षण अभियंता के पत्र दिनांक 13.11.2015 द्वारा जारी शिडयूल आफॅ रेट जो कि इसी वृत्त के अधीन अधिशासी अभियंताओं व अन्य विभाग के अधिशासी अभियंताओं द्वारा अधीक्षण अभिंयता लो0नि0वि0 वृत् बुलंदशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण हेतु उक्त शिडयूटल आफॅ रेट के मद संख्या-20.18 जो कि शिडयूल आफ रेट के पृष्ठ संख्या-55 पर 10 से0मी0 मोटीउ स्लैब 1:2:4 के अनुपात में निर्माण कार्य कराने हेतु रू0 6550/- प्रति घन मी0 प्राविधानित है, जिसमें सीमेंट कन्समटेशन के अनुसार 67/- रू0 प्रति बैंग अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0 वृत्त, बुलंदशहर के पत्र दिनांक 04.01.2016 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में निहित प्राविधान के अनुसार कुल 452.92 पैसे घटाते हुये अवर अभियंता द्वारा प्राक्कलन में 6097/- रू0 प्रति घनमी0 का प्राविधान किया गया है। उक्त दरें बुलंदशहर वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग जिनका नोडल लो0नि0वि0, बुलंदशहर है के प्राक्क्लनों में प्राविधानित किया गया है। उक्त प्राक्कलन को श्री गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रखण्ड कार्यालय में चेक करने व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। श्री गुप्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रखण्ड में अम्बेडकर गांव में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का कार्य कभी नही कराया गया था। मेरठ, वृत्त, लो0नि0वि0 द्वारा अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का कार्य कराया गया था, जिनमें उनके द्वारा वर्ष 2009 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में 279ए में हेशनक्लाथ एवं मैटेरियल शिफिटंग आदि जोडकर उक्त मद का विश्लेषण किया गया था, जिसको अधि0अभि0 लो0नि0वि0 मेरठ वृत्त द्वारा स्वीकृत किया गया था क्योंकि 279ए शासनादेश दि0 13.12.2012 के अंतर्गत समग्र ग्राम सी0सी0 रोड की विशिष्टियों के लिये परिपूर्ण नही है। फिर भी शासनादेश में अंकित न होने के पश्चात भी 279ए में वर्तमान में प्रचलित शिडयूल आफ रेट लो0नि0वि0 के अनुसार विश्लेषण करने पर दर रू0 6119 प्रति घनमी0 आती है जो प्राक्कलन में लगायी गयी दरों से अधिक है। अत: श्री गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर की दर न्यूनतम है जिससे कोई शासकीय क्षति नही हुई है। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन में फिर भी दरों में कोई कमी थी तो प्रखण्डीय संगणक/अवर अभियंता तकनीकी द्वारा उसे काटकर सही करना चाहिए था जैसा प्रखण्ड में अन्य प्राक्कलनों में भी दरें चेक कर काटकर सही करते थे। प्राक्कलनों की दर चेक करने व सही करने की पूर्णतया जिम्मेदारी प्रखण्डीय संगणक/अवर अभियंता तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी की होती है।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना</u>

(बिन्दु-क) अपचारी अधिकारी द्वारा प्रेषित बचाव उत्तर एवं प्रकोष्ठ की जॉच आख्या का परीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम हसनगढ़ के स्वीकृत प्राक्कलन में 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लोक निर्माण विभाग के मद सं0-279(एं) का प्राविधान करने के निर्देश थे, जबकि अपचारी अधिकारी के द्वारा उक्त एस0ओ0आर0 के क्रमांक-20.18 बी0 का प्रयोग करने के फलस्वरूप टी0ए0सी0 द्वारा अपनी आख्या में 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट की मद में अधिक दर का प्राविधान किये जाने के कारण परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 1,13,978.00 की आंकलित की गई है, जिसे प्राक्कलन गठित करने वाले अवर अभियंता/संगणक/सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता सहित चारो को बराबर-बराबर उत्तरदायी मानते हुये प्रत्येक को रू0 28,495.00 की शासकीय क्षति हेतु उत्तरदायी माना है। इस संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में कोई प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत नही किया, जिससे उक्त शासकीय क्षति से अवमुक्त किया जा सके। अतः प्राक्कलन में मद सं0.-279(ए) का प्राविधान न कर, क्रमांक-20.18 बी0 का प्रयोग कर अधिक दरों का प्राधिन किये जाने के कारण उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होना पाया गया।

<u>2.4 (iX क) निष्कर्ष</u>

अतः अपचारी अधिकारी पर बिन्दु-''क'' में अधिक दरों का प्राविधान किये जाने के निमित्त उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

<u>आरोप 2क(ix)</u> डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम हसनगढ़ में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण हेतु <u>प्रांकलन में अधिक दरें लगाने हेतु रू0 28495/- के लिये आरोपित किया गया है।</u>

जांच अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में लिखा गया है कि प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट मद हेतु लोक निर्माण विभाग के मद सं0 279**(a)** का प्राविधान करने के निर्देश थे।

वें उक्त कथन से सहमत नहीं है क्येंकि यह पूर्णतः गलत है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के अन्तर्गत जारी किसी भी शासनादेश में सी0सी0 रोड स्लैब में मद संख्या 279**(a)** लगाने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लिए इंगित नहीं किया गया टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट शासनादेश दिनांक 13.12.2012 के द्वारा 279**(a)** लगाने का जिक्र किया गया है, जबकि उक्त शासनादेश में कहीं पर भी उपरोक्त मद संख्या 279**(a)** का लगाने का वर्णन नहीं किया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 के समस्त प्रखण्डों में लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 के शेड्यूल ऑफ रेट एवं विशिष्ठियों के अनुरूप कार्य कराया जाता है।

अतः उपरोक्त कार्य के प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब की दरें लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 बुलन्दशहर वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता के पत्र दि0 13.11.15 द्वारा जारी शेड्यूल आफ रेट जो कि इसी वृत्त के अधीन अधिशासी अभियन्ताओं व अन्य विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0 उ0प्र0 वृत्त बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण हेतु उक्त शेड्यूल आफ रेट के मद सं0 20.18 जो कि शेड्यूल आफ रेट के पृष्ठ संख्या 55 पर 10सेमी0 मोटी स्लैब 1:2:4 अनुपात में निर्माण कार्य हेतु लगाया गया है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मेरठ मण्डल के सभी जनपदों में भी इसी मद सं0 20.18**(a)** का प्रयोग किया गया है।

उक्त प्रांकलन में सी0सी0 रोड स्लैब 20.18**(a)** की दरें 6079.00 प्रति घ0मी0 लगाई गई जो अन्य जनपदों में 10सेमी0 सी0सी0 रोड स्लैब के लिये प्रांकलन में लगाई गई दरों से कम है। इसके अतिरिक्त कानपुर मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा भी डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के शासनादेश सं0-685 दिनांक 13.12.2012 के अनुसार उक्त मद के लिये 7000/- रूपये प्रति घन मीटर दरें स्वीकृत की है तथा यह लिखा है कि लोक निर्माण विभाग, कानपुर मण्डल में उक्त मद की दरें स्वीकृत होने के पश्चात उपरोक्त दरें निष्प्रभावी हो जायेगी, क्योंकि उस समय लोक निर्माण विभाग, कानपुर मण्डल के शिड्यूल ऑफ रेट में उपरोक्त 10 सेमी0 सी0सी0 रोड स्लैब की दरों का प्राविधान नहीं था। इस प्रखण्ड में उपरोक्त मद की लगायी गयी दरें न्यूनतम हैं। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि प्रांकलन की दरें अनुमानित होती हैं। कार्य निविदा प्राप्त कर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर अनुबन्ध गठित करने के पश्चात कराया जाता है। इस कार्य की निविदा प्रतिशत कम थी जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध गठित कर कार्य कराया गया। अतः उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि आरोपित कार्य को करवाने हेतु निर्माण सामग्री, विशिष्टियों, कार्य मदों एवं अनुबन्धित दस्तावेज प्रांकलन में दी गयी दरों पर कार्य न कराने तथा प्रचलित दरों के अनुरूप व्यय न किये जाने के कारण आरोपित शासकीय क्षति वास्तविक शासकीय क्षति नहीं हैं। जैसा कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 29.01.2020 में भी अंकित है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्यों में दरों के कारण कोई भी शासकीय क्षति नहीं हुई है। जिससे शासन को क्षति की वजाय लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि प्रांकलन गठन में किसी भी मद (20.18) का प्राविधान करने के लिए अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-बुलन्दशहर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उक्त कार्य पर प्रांकलन में अधिक दरों के लिये आरोपित अवर अभियन्ता श्री रोहताश कुमार को प्रांकलन अधिक दरों को शासकीय क्षति को वास्तविक क्षति न मानते हुए आरोप मुक्त कर दिया गया है।

<u>2.2 (iX ख) अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

टी0ए0सी0 की जॉच आख्या के अनुसार अधिकतर कार्य मानक के अनुरूप पाया गया दो गली मे कही-कही पर 1:2:4 प्लास्टर की स्ट्रेन्थ मानक से कम पायी गयी तथा बेस कंक्रीट 1:6:12 में भी कही-कही पर समुचित मिक्सिंग व अधिक पानी के कारण स्ट्रेन्थ में कमी पायी गयी। उपरोक्त कार्य की सी0सी0 पेवमेंट 1:2:4 एवं बेस कंक्रीट 1:6:12 की टेस्टिंग विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अलीगढ मुस्लिम विद्यालय से करायी गयी जो मानक के अनुसार ठीक पायी गयी। इस कार्य का प्रथम रनिंग बिल उनके द्वारा तथा द्वितीय एवं तृतीय अंतिम बिल श्री कमल किशोर सहायक अभियंता द्वारा किया गया है। कार्य पर पायी गयी कमियों को श्री कमल किशोर सहायक अभियंता द्वारा अंतिम बिल भुगतान करने से पूर्व ठेकेदार से सही करानी चाहिए थी। उपरोक्त कार्य में पायी गयी कमियों के लिये संबंधित ठेकेदार एवं पर्यवेक्षण करने वाले अवर अभियंता एवं द्वितीयएवं तृतीय बिल भुगतान करने वाले सहायक अभियंता को कार्य के समय ध्यान रखना चाहिए था। इस कार्य पर टी0ए0सी0 द्वारा कुल आंकलित क्षति रू0 215971.00 रू0 है जो संबंधित ठेकेदार द्वारा राजकीय कोष में जमा करा दी गयी है।

2.3 (iX ख) जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना

(बिन्दु-ख) अपचारी अधिकारी को ग्राम हसनगढ़ में बिन्दु ''ख'' से ''छ'' तक की गलियों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत 40.00 लाख के सापेक्ष अनुबंध सं0-66 दिनांक 02.09.2016 रू0 32,73,169.74 का गठित किया गया। उपरोक्त कार्य पर प्रकोष्ठ द्वारा की गयी जॉच में कुल शासकीय क्षति 2,15,971.00 आंकलित की गई, जिसमें से अपचारी अधिकारी को 10,072.00 की क्षति हेतु आरोपित किया गया है।

प्रकोष्ठ द्वारा उक्त ग्राम की बिन्दु ''ख'' से ''छ'' तक की गलियों की जॉच का अपनी आख्या में गलियों में प्रयुक्त 1:2:4 का कार्य एवं 1:6:12 का कार्य मानक के अनुरूप पाया जाना इंगित किया है। उक्त गलियों में प्रयुक्त सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 एवं 1:6:12 सीमेंट सैण्ड एवं लीन कंक्रीट कार्य में प्रयुक्त कंक्रीट के नमूने विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से परीक्षण के उपरांत विशिष्टियों में प्राविधानित अनुपात में विचलन +/-10 **%** की परिशुद्वता के अंतर्गत होना प्रकोष्ठ की जॉच आख्या में इंगित किया हैं। अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में शासनादेश दि0 14.07.2009 का उल्लेख करते हुये टी0ए0सी0 द्वारा उक्त कार्य पर निकाली गई। शासकीय क्षति 2,15,971.00 है, जो कि परियोजना की कुल लागत 32,73,169.74 का 6.5**%** है, उक्त कार्य पर टी0ए0सी0 द्वारा निकाली गई वसूली को संबंधित ठेकेदार द्वारा राजकोष में जमा कराये जाने से भी अवगत कराया है। उक्त कार्य पर टी0ए0सी0 द्वारा निकाली गई वसूली को संबंधित ठेकेदार द्वारा राजकोष में जमा कराये जाने से संबंधित अभिलेख अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर के साथ प्रेषित किये है। टी0ए0सी0 द्वारा निकाली गयी वसूली राजकोष में जमा हो जाने के कारण उक्त आरोपांश अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित होना पाया जाता है।

2.4(ix ख) निष्कर्ष

अतः अपचारी अधिकारी पर बिन्दु-''क'' में अधिक दरों का प्राविधान किये जाने एवं बिनदु ''ख'' से ''छ'' तक के अधोमानक कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा निकाली गई वसूली को जमा होने के कारण उक्त आरोप अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

आरोप 2क(IX) ख- उक्त कार्य में मुझे आंशिक रूप से आरोपित किया गया है।

जिस समय यह कार्य कराया गया था प्रखण्ड में पांच सहायक अभियन्ताओं के स्थान पर केवल दो सहायक अभियन्ता ही कार्यरत थे डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के अतिरिक्त अन्य कार्य भी प्रचुर मात्रा में चल रहे थे। अतः हर समय कार्य का पर्यवेक्षण करना सम्भव नहीं था।

उक्त कार्य का केवल प्रथम रनिंग बिल का भुगतान उनके द्वारा कराया गया था जबकि द्वितीय रनिंग बिल एवं अन्तिम रनिंग बिल का भुगतान श्री कमल किशोर सहायक अभियन्ता द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कराया गया था ठेकेदार द्वारा टी0ए0सी0 द्वारा कार्य पर निकाली गई समस्त वसूली राजकीय कोष में जमा करा दी गई है। कार्य पर वसूली शून्य है जैसा जांच अधिकारी द्वारा विवेचना में भी लिखा गया है जबकि इस कार्य का अन्तिम बिल उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया अतः उन्हें आंशिक रूप से भी आरोपित करना न्याय संगत नहीं है।

इस कार्य के अवर अभियन्ता श्री रोहिताश कुमार जिनके द्वारा इस कार्य का प्रांकलन गठन किया गया था तथा कार्य भी सम्पादित कराया गया था तथ्यों को जो इस कार्य के क और ख में आरोपी थे उन्हें निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर आरोप से मुक्त कर दिया गया है, जो श्री रोहताश कुमार अवर अभियन्ता इस विभाग में कार्यरत है, जबकि उनको सेवा निवृत्ति के तीन वर्ष से अधिक समय पश्चात भी आंशिक रूप से आरोपित करना संगत नहीं है।

(X) जिला महिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में ओ0पी0डी0 का निर्माण

इस कार्य पर उन्हें 1,014.00 इस शासकीय क्षति के लिये आरोपित किया गया है।

2.2- (iX) अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा जिला महिला चिकित्सालय बुलंदशहर में ओ0पी0डी0 के निर्माण में परिलक्षित शासकीय क्षति में अवगत कराया है कि टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति रू0 1014/- 2 प्रतिशत सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत है जिसे शासनादेश दि0 14.07.2009 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2.3 (iX) जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना

प्रकोष्ठ द्वारा इस आरोप में अपचारी अधिकारी को जिला महिला चिकित्सालय बुलंदशहर में ओ0पी0डी0 के भवन के बाहर निर्मित 1:4 सीमेंट कोर्स सैण्ड, 1:2:4 एवं फर्श की टाइल्स के ज्वाइंटस इत्यादि में कमी पाये जाने के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति 5,797.00 आंकलित की गई, जिस हेतु अपचारी अधिकारी को 1,014.00 की क्षति हेतु उत्तरदायी ठहराया गया है।

उपरोक्त आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में अवगत कराया कि उक्त कार्य पूर्ण हुये लगभग एक वर्ष हो चुका है। प्रकोष्ठ द्वारा दि0 14.03.2018 को महिला चिकित्सालय के मुख्य भवन के बाहर प्लास्टर को कई स्थानों पर चैक करने पर उसकी मोटाई 12.00 एम0एम0 एवं 14.00 एम0एम0 पाया जाना तथा अन्य स्थानों पर प्लास्टर की स्ट्रेन्थ एवं ब्रिक वर्क में प्रयुक्त सीमेंट मोर्टार की स्ट्रेन्थ भी मानक के अनुसार होना अपनी आख्या में अंकित किया है। भवन के अंदर निर्मित वार्डो, कॉरीडोर में फर्श में विट्रीफाइड टाईल आदि स्मूथ होने के साथ प्रयोग लिये जाने के साथ-साथ चिकित्सकों तथा कर्मचारियें द्वारा भी भवन में कोई असुविधा या कमी अवगत न होना भी प्रकोष्ठ ने अपनी आख्या में इंगित है। अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में शासनादेश दिनांक 14.07.2009 का उल्लेख करते हुये तथा कार्य से संबंधित वसूली अंकन रू0 5,797.00 को संबंधित ठेकेदार द्वारा राजकोष में जमा करा दिया गया है।

अतः अपचारी अधिकारी द्वारा प्रेषित बचाव उत्तर एवं शासनादेश के अनुसार कुल शासकीय क्षति रू0 5,797.00 जो परियोजना रू0 54,94,574.00 की लागत का 0.10 % होने के कारण अपचारी अधिकारी को सहिष्णुता का लाभ दिया जा सकता। अतः अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोप स्थापित होना नही पाया गया।

2.4- (iX) निष्कर्ष

अतः अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोप स्थापित नही होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपो के संबंध में प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री हरीओम गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता के विरूद्ध कुल 02 आरोप जो कुल शासकीय क्षति 1,63,638.00 से संबंधित थे में से रू0 19,793.00 + 38,567.00 को संबंधित ठेकेदार द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दिये जाने के पश्चात अवशेष बची धनराशि रू0 1,05,278.00 के लिये श्री हरीओम गुप्ता उत्तरदायी है। श्री गुप्ता जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने से पूर्व वे सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हो गये थे, को उक्त अनियमितता व शासकीय क्षति हेतु किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नही पाया गया। किन्तु उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 1,05,278.00 (रू0 एक लाख पॉच हजार दो सौ अटठत्तर मात्र) की वसूली उनके सेवानिवृत्तिक देयकों अथवा सिविल लायवेल्टी सूट दाखिल कर किये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चित किया गया। विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 20.01.2021 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की सहमति मॉगी गयी, जो उनके पत्र दिनांक 10.03.2021 द्वारा निम्नवत सहमति प्रदान की गयी :-

> **" श्री हरीओम गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 1,05,278.00 (रू0 एक लाख पॉच हजार दो सौ अटठत्तर मात्र) की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से की जाय। वसूली न हो पाने की स्थिति में 05 प्रतिशत पेंशन की कटौती तब तक की जाय जब तक उक्त धनराशि की सम्पूर्ण वसूली न हो जाय।"**

4- अतएव लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र दिनांक 10.03.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति के दृष्टिगत श्री हरीओम गुप्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के कारण उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-46/2019/502/92-2-19-34जांच/2017 दिनांक 27.02.2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्नवत दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

> **" श्री हरीओम गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 1,05,278.00 (रू0 एक लाख पॉच हजार दो सौ अटठत्तर मात्र) की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से की जाय। वसूली न हो पाने की स्थिति में 05 प्रतिशत पेंशन की कटौती तब तक की जाय जब तक उक्त धनराशि की सम्पूर्ण वसूली न हो जाय।"**

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 25/2021/2136(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री हरीओम गुप्ता, तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।